

27.8.18

पञ्जावली पेश हुई। वल
अं. धारा 5 सिंगर अधि.
12.9.18 के पेश हो।

12.9.18

पञ्जावली पेश हुई। कुल्लाम फटीकेन उपर
पञ्जावली का माली-मालि आपलोकन डिमा गना।
वहस कुल्लाम फटीकेन पट मनन डिमा गना।
आवेहन अन्तर्गत धारा 5 सिंगर अधिनियम
का निर्णय प्रथम से लिखा जाकर शामिल
पञ्जावली हो। करील वादी/गर्ची इरा प्रदुल
आवेहन अं. धारा 5 सिंगर अधिनियम आरिफ
किमा का पुता है।

अतः गर्चना-पत्र अ. आदेश 3
नियम 13 CPC खारिज किमा जाता है। पञ्जावली
कुल्लाम सुमाट होकर नम्बर से अम हो।
वाड जापता आर्भवाही दाखिल फरत हो।

(रेश् बीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज.)

शिकायत
...

...